दिल्ली जन घोषणापत्र विषय सूची:

1. दिल्ली प्रवासी नीति
2. दिल्ली जल एवं यमुना नीति
3. दिल्ली संविदा कर्मचारी नीति सफाई कर्मचारी, रेहड़ी पटरी एवं अन्य असंगठित व्यवसाय
4. दिल्ली औद्योगिक नीति
5. दिल्ली स्मार्ट सिटी अनुसन्धान व प्रोद्योगिकी नीति
6. दिल्ली युवा रोजगार एवं स्वरोजगार नीति
7. दिल्ली प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा नीति
8. दिल्ली यातायात, सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन डीटीसी, मेट्रो, आरटी योजना आदि नीति
9. दिल्ली वरिष्ठ नागरिक व विकलांग नीति
10. दिल्ली महिला एवं बाल विकास नीति
11. दिल्ली स्लम जेजे क्लस्टर विकास
12. दिल्ली पीने का पानी
13. दिल्ली हेल्थकेयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य
14. दिल्ली की वर्तमान मुफ्त योजनाओं के बेहतर विकल्प
15. दिल्ली कानून व्यवस्था
16. दिल्ली ग्राम क्षेत्र विकास
17. दिल्ली प्रशासनिक सुधार
18. दिल्ली कला, संस्कृति, विरासत स्थल और भाषा
19. दिल्ली खाद्य सुरक्षा एवं विपरण निति
20. नशा मुक्त दिल्ली
21. बिजली और उर्जा आपूर्ति
22. पार्क, बगीचे और जंगल (दिल्ली पर्यावरण नीति)
23. दिल्ली नगर नियोजन एवं अवैध कॉलोनियाँ
24. दिल्ली स्वास्थ्य नीति
25. दिल्ली कचरा प्रबंधन
26. सशक्त लोकपाल व सत्ता का विकेंद्रीकरण

दिल्ली जन-घोषणापत्र: एक परिचय

दिल्ली प्रदेश, देश की राजनीति और सामाजिक संरचना में एक अहम स्थान रखता है। यह न केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि यहाँ की जनता की आकांक्षाओं और चिंताओं को समझकर ही देश में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। पिछले एक महीने से अधिक समय में दिल्ली प्रदेश के 10,000 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, और विशेषज्ञों से मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह दिल्ली जन घोषणा पत्र दिल्ली की जनता की वास्तविक समस्याओं और आवश्यकताओं का सही प्रतिनिधित्व करता है।

यह घोषणा पत्र केवल एक दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जन आंदोलन का हिस्सा है, जो दिल्लीवासियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। दिल्ली की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख, बुद्धिजीवी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, और समाज-सुधारक और हजारों दिल्ली की आम जनता के प्रतिनिधियों ने इसकी ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में भाग लिया है । विशेषरूप से श्री राजकुमार सिंह व रजनीश झा की नेशनल यूथ संगठन व डॉक्टर ओमकार मित्तल और उनके संगठन से मिले असीम सहयोग व मार्गदर्शन से इस दिल्ली जन घोषणापत्र को बनाना संभव हो पाया है, दिल्ली जन घोषणापत्र ड्राफ्टिंग टीम सभी सहयोगियों व मार्गदर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करती है ।

गणतंत्र दिवस और वोटर दिवस की पूर्व संध्या पर यह आयोजन दिल्ली और देशवासियों को यह समझाने का प्रयास करेगा कि वोट की ताकत केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व है। मुफ्त के वादों से बचते हुए सही मुद्दों पर सोच-समझकर मतदान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह दिल्ली जन घोषणा पत्र दिल्ली के भविष्य के लिए एक संजीवनी का रूप है, जिसमें हर नागरिक की आवाज़ को महत्व दिया गया है, और समाज के हर वर्ग को उसका सही हक दिलाने के लिए एक ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। हम आशा करते है कि इस दिल्ली जन घोषणापत्र को हमारी दिल्ली प्रदेश की सभी प्रमुख राजनितिक दलों द्वारा अपनी अपनी पार्टियों के मुख्य घोषणापत्र सम्मुख इसे यथोचित स्थान दिया जाएगा । और जीत के पश्चात विजयी राजनैतिक पार्टी द्वारा इस दिल्ली जन घोषणापत्र में वर्णित दिल्ली के बजट के अनुकूल पूरी की जाने योग्य जन आकांक्षाओं पर समुचित कार्यवाई की जायेगी । ऐसा हम आशा करते है ।

1. दिल्ली प्रवासी नीति

दिल्ली में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों द्वारा आमतौर पर सामना की जाने वाली प्राथमिक चुनौतियाँ जैसे सीमित सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच की कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का अभाव, आवास, पानी, स्वच्छता सुविधाओं तक खराब पहुंच, वित्तीय असुरक्षा, निरंतर ऋण-चक्र, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना आदि है। इस सन्दर्भ में हमारे प्रयास निम्नलिखित होंगे ।

- हम आधार से जुड़ा एक "प्रवासी सामाजिक सुरक्षा कार्ड" पेश करेंगेगे, जो प्रवासी श्रमिकों को उनके स्थान की परवाह किए बिना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंच प्रदान करेगा।
- हम "रेंटल हाउसिंग वाउचर योजनाएं" लॉन्च करेंगेगे जहां सरकार कम आय वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर सब्सिडी देती है। प्रवासियों के लिए किफायती आवास भी उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- वंचित प्रवासी आबादी तक पहुंचने और मुफ्त जांच, टीकाकरण और उपचार प्रदान करने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करेंगेगे। और प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना या समकक्ष स्थानीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में नामांकित करेंगेगे।
- श्रम पर स्थायी समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार प्रणाली की शोषणकारी प्रकृति को स्वीकार किया। समिति ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए व्यापक संशोधनों की सिफारिश को लागू करने का प्रयास करेंगेगे।

2. दिल्ली जल एवं यमुना नीति

- दिल्ली में यमुना नदी में किसी भी नाले या फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी तथा अपशिष्ट पदार्थों को नदी में नहीं गिरने दिया जाएगा तथा इसकी उचित रोकथाम के लिए विश्व स्तरीय प्रबन्धन किए जाएंगे।
- यमुना को आगे प्रदूषित होने से रोकने के लिए, कोई सीवेज या औद्योगिक कचरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उन्नत स्तर की जल Filtration प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए।
- नदी के प्रवाह में किसी भी अवरोध या जमा सामग्री की नियमित सफाई की जानी चाहिए।
- यमुना के दोनों किनारों पर एक पैदल मार्ग और सुंदर पार्क तैयार किया जाएगा, यमुना ब्रिज से लेकर ओखला तक।
- "दिल्ली रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट" के तहत, नए घाटों (किनारों) का विकास किया जाएगा, साथ ही छायादार बैठने के स्थान और योग व ध्यान के लिए निर्धारित क्षेत्र बनाए जाएंगे, ताकि रिवरफ्रंट क्षेत्रों में आने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके।
- दिल्ली की गर्मियों में जीवित रहने के लिए मौजूदा तालाबों और झीलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
- घाटों के साथ 24×7 निगरानी की जानी चाहिए ताकि मानव गतिविधियों को रोका जा सके।
- अपराधियों पर कड़ी सजा लागू की जानी चाहिए।
- यमुना के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध होना चाहिए।

- नियमित सफाई की जानी चाहिए और सिल्टिंग की जांच की जानी चाहिए।
- यमुना नदी की जलधारा को अवरोध मुक्त कर अविरल बहने के प्रबन्ध किए जाएंगे। नदी में स्थित समस्त गन्दगी जैसे झाड़-झंगरवाड़, Tah वाले टापू व तलहटी में जमा गन्दगी को वहाँ से समय-समय पर साफ़ किया जाएगा

• नदी के दोनों किनारों पर बुराड़ी से ओखला तक पर्यटक हरित पट्टी व सुन्दर पार्क, जगह-जगह रेस्टोरेंट, बोटिंग सेन्टर आदि तैयार किए जाएंगे, जिससे देश विदेश के पर्यटकों के साथ-साथ राज्य के निवासियों को भी अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होगा।

• दिल्ली के ओखला पंछी विहार के नज़दीक एक विशाल एडवेंचर रिसोर्ट बनाया जाएगा जिसमें बोटिंग, फूड-प्लाज़ा, हट-होटल, बच्चों के लिए राईड्स, रॉक-क्लाईम्बिंग, बन्जी-जम्पिंग तथा अन्य कई आकर्षक क्रीड़ाओं के साथ-साथ, SEATS कला आदि जैसे कई क्रिया-कलापों का प्रबन्ध किया जाएगा। इससे अधिकाधिक पर्यटक दिल्ली में आएंगे तथा उन्हें प्रदेश में स्थित अभ्यारण्यों को अनुभव करने का भी अवसर प्राप्त होगा।

• दिल्ली में उपलब्ध सभी पुरातन तालाबों व झीलों का पुनरोद्धार करने की दिशा में सभी बड़े तालाबों और झीलों को "पेयजल संसाधन व संरक्षण परियोजना" के अन्तर्गत समाप्त हो गए तालाब व झीलों का जीर्णोद्धार, वहाँ वृक्षारोपण, इनकी नियमित साफ़-सफाई, तथा सुरक्षा के बड़े उपाय किये जाएंगे, जिससे दिल्ली प्रदेश को जल आपातकाल में आपूर्ति के उचित प्रबन्ध उपलब्ध हों।

• जीर्णोद्धार किए तालाबों व नए तालाबों पर "दिल्ली वाटर फ्रन्ट परियोजना" के तहत पक्के घाटों का निर्माण, छायादार बैठकें व शैड, तथा योगाभ्यास के लिए स्थान निर्माण कराए जाएंगे।

3. दिल्ली संविदा कर्मचारी नीति

दिल्ली प्रदेश के अस्थाई कर्मचारियों को ग्रुप-ई बना कर उसमें शामिल किया जाएगा और जब तक उनको स्थाई व नियमित नहीं किया जाता, तब तक उनको काम का पूरा दाम मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा व सभी प्रकार की निर्धारित सुविधाएँ भी मिलेंगी।

• आँगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को भी ग्रुप-ई में शामिल किया जाएगा तथा उनको सभी सरकारी सुविधाएँ तथा सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

• असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे व्यापारियों के पास काम करने वाले दिहाड़ी मज़दूर, सामान्य वर्ग, सभी वाहन चालक, पत्रकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार जैसे पुजारी, ईमाम, ग्रंथि, इत्यादि, छोटे व्यापारी, आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रिक्शा चालक, व अन्य निम्न आय वाले व्यक्तियों को दिल्ली सरकार SRT "PRAT मुण्डा असंगठित सर्वजन सुरक्षा बीमा योजना" लागू कर उनका बीमा

करवाया जाएगा। यदि बीमा धारक लम्बी बिमारी या मृत्यु का शिकार होता है, तो एक सुनिश्चित धनराशी उसके परिवार वालों को प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार टैक्सी और ऑटो यूनियन मुद्दे बनाम ओला-उबर, सिविल डिफेन्स मार्शल्स, दिल्ली के छोटे दुकानदारों का व्यवसाय बनाम ईकॉमर्स व अन्य सभी असंगठित श्रमिक और बीओसीडब्ल्यू निर्माण श्रमिक के सभी विषयों पर इन सभी के दीर्घकालिक हित हेतु कार्य किया जायेगा

4. दिल्ली औद्योगिक नीति

औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, औद्योगिक प्राधिकरण (DSIDC) आदि द्वारा निरंतर की जा रही लूट और नाना प्रकार के टैक्स के नाम पर हो रही रंगदारी के प्रकरण को पूर्णतया समाप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:
दिल्ली में बढ़ती कमरतोड़ महँगाई ने जहाँ एक ओर आम जनता का खाना-पीना तक Gare कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर बड़े पूंजीपतियों की ऑनलाईन कम्पनियों, GST तथा MSME क़ानून ने दिल्ली के व्यापारियों को पूरी तरह से बर्बादी की क़गार पर खड़ा कर दिया है। जिसकी वजह से दिल्ली के व्यापारी अपनी दुकान-व्यापार को धीरे-धीरे एनसीआर क्षेत्रों में स्थानांतरित रहे हैं। इसके समाधान के लिए हमारी सरकार में दिल्ली की आम जनता को महँगाई से निजात दिलाने तथा परंपरागत व्यापारियों तथा दुकानदारों के व्यापार को दोगुना करने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई योजना पर सम्बन्धित विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण राय के पश्चात इसे जनवरी 2025 में सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

दिल्ली प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के उत्थान के लिए इनका विकेन्द्रीयकरण कर प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र की "उद्योग विकास समिति" बनाने का काम चुनावी प्रक्रिया द्वारा कराया जाएगा तथा इन समितियों को यह अधिकार होगा कि वह अपने औद्योगिक क्षेत्र का विकास राज्य सरकार द्वारा सीधे आबंटित बजट से करेंगे।
प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल-विंडो काउन्टर स्थापित किए जाएंगे तथा उद्योगों से जुड़ी अनेक सुविधाएँ वहां प्रदान की जाएंगी जिनमें प्रमुख हैं; उद्योग पंजीकरण, बिजली बिल, पानी बिल, सफ़ाई, लीज़ एग्रीमेंट टैक्स, लेबर रजिस्ट्रेशन आदि उपलब्ध होंगी।

दिल्ली के सभी औद्योगिक क्षेत्रों, वाणिज्यिक संस्थानों, व्यस्त व्यावसायिक परिसरों एवं बड़े अस्पतालों में दो हज़ार से अधिक "माता जानकी जनाहार""भोजनालय खोले जाएँगे, जहाँ पर नॉट-फ़ॉर-प्रॉफिट स्कीम के
तहत शुद्ध भोजन लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि सस्ती व समान दरों पर उपलब्ध होगा।
दिल्ली में नए उद्योग लगाने और पुराने उद्योगों की उन्नति के लिए "दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन" में पूर्णतया पारदर्शिता लाई जाएगी तथा व्यापारिक आधार पर "ऑटो-अप्रूवल लोन सिस्टम" बनाया जाएगा जिसके अन्तर्गत समस्त आवेदकों के बही-खता आंकड़ों के आधार पर "ऑनलाईन आवेदन तथा अप्रूवल" जैसे नए मापदण्ड लाए जाएँगे।

दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा स्किल्ड ट्रेन्ड युवा-युवतियों को रोज़गार जनक बनाने हेतू "शहीद ख़ुदीराम बोस इंडस्ट्रीज़ एक्सप्रेस लोन" की शुरुआत की जाएगी, जिसमें युवाओं को बिना Ac औद्योगिक

प्रोजेक्ट लगाने के लिए, दिल्ली सरकार Bt TST पर दस लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
दिल्ली प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने तथा नए व्यापारों को स्थापित करने के उद्देश्य से कम ख़र्च में विश्वस्तरीय सुविधाओं सहित को-वर्किंग ऑफ़िस तथा लोकेबल ऑफ़िस के लिए बहुमाज़िला प्रोजेक्ट्स को प्रत्येक ज़िला में बनाया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले तकनिकी या गैर तकनिकी मजदूरों के उत्थान के लिए मुफ़्त चिकित्सालय, आंगनवाड़ी के साथ ही मज़दूरों का पंजीकरण या बीमा आदि सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा।

पंजाबी बाग़ व सँजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण करके उन्हें मल्टी-स्पेशल कंटेनर्स टर्मिनस बनाया जाएगा, जिससे ट्रांस्पोटरों, कार्गो हेंडलर्स तथा उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में एक सर्वोत्तम विश्वस्तरीय "कार्गों हब व कन्टेनर एक्सचेंज" का निर्माण किया जाएगा, जिसके प्रयोग से न केवल रोज़गार ही उत्पन्न होंगे अपितु प्रदेश के उद्योगों तथा व्यापारों को तरक्की की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

5. दिल्ली स्मार्ट सिटी, अनुसन्धान व प्रोद्योगिकी नीति

अनुसंधान क्लस्टर: उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान क्लस्टर और की स्थापना की जाएगी। ये क्लस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, FACT कंप्यूटिंग, और जैव प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देंगे। छात्रों को अनुसंधान और आविष्कार के लिए छात्रवृत्तियाँ और फेलोशिप प्रदान का प्रावधान किया जाएगा। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, इंटर्नशिप्स, और स्किल ट्रेनिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्टार्टअप इंक्यूबेटर: उत्कृष्ट स्तर के स्टार्टअप इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे जहां युवा उद्यमियों को समाधान विकसित करने के अवसर उपलब्ध होंगे तथा नेतृत्व, वित्त व्यवस्था, और अनुसंधान सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। पहले चरण के उद्यमों को बुनियादी संरचना, मेंटरशिप, और वित्त की सुविधाएं हमाराद्वारा सीधे प्रदान की जाएंगी।

कौशल विकास व शिक्षा: स्कूल और कॉलेजों में STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को विशेष
प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण पर कार्य किए जाएंगे। कोडिंग और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान कर छात्रों को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा साथ ही रिसर्च एवं टेक्नोलोजी पार्क स्थापित कर बहुविद्यालीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण को बढ़ावा देना हमाराकी विशेष पहचान बनेगी।

ई-सरकार: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सरलीकृत कर पारदर्शिता, कुशलता, और
नागरिक संलग्नता को बढ़ाया जाएगा। अनुसंधानकर्ता, उद्यमियों, और नीति निर्माताओं के लिए सहयोगी संस्थान स्थापित किए जाएंगे तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए मार्गदर्शिका निरन्तर

विकसित की जाएगी।

ब्लॉकचेन अनुप्रयोग: ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का अन्वेषण कर शासन, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य लाभ और वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी तथा arcs कंप्यूटिंग अनुसंधान में निवेश कर दिल्ली को भारत का ही नहीं अपितु विश्व का एक उन्नत केंद्र बनाना हमारी सरकार के सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक होगा

6. दिल्ली युवा रोजगार एवं स्वरोजगार नीति

हमारे द्वारा युवाओं को स्वरोज़गार के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिससे युवा अपने रोज़गार स्वयं चुन सकेंगे। देश की राजधानी होने के बावजूद, दिल्ली में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी से बदहाली को देखा जा सकता है, जो कि युवाओं से जुड़ी एक गम्भीर समस्या Sl युवाओं के रोज़गार तथा स्वरोज़गार को स्थापित करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक कार्य किए जाएँगे, जिनमें प्रमुख होंगे;

दिल्ली में हमाराद्वारा विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर पर्यटन में पाँच लाख लोगों को स्वरोज़गार तथा रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
हमारे द्वारा लोक सेवा सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व सफ़ाई, सुरक्षा क्षेत्र सहित अन्य सरकारी विभागों में 2.50,000 (ढाई लाख़) नई सरकारी नौकरियों को उत्पन्न किया जाएगा।
हमारा में "शहीद भगत सिंह रोज़गार पोर्टल" बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रकार
की नैकारियों की उपलब्धता तथा आवेदन की सुविधा एक-मुश्त आवेदन के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाएगा साथ ही इस वैब पोर्टल की विशेषता यह होगी कि सरकार के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों में नौकरियों के अलग-अलग आवेदन के लिए अलग-अलग समय पर फॉर्म तथा फ़ीस की लूट के शिकार होने से बचेंगे तथा आवेदकों को नौकरी के सही अवसर प्राप्त होंगे।

दिल्ली सरकार द्वारा युवाओं को बड़े पैमाने पर तथा रियायती ब्याज दर पर व्यापार करने के लिए बिना सिक्योरिटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा करने से ना केवल व्यापार ही उत्पन्न होंगे बल्कि बड़े पैमाने पर ऐसे व्यापार अन्य रोज़गार भी उपलब्ध करा सकेंगे। युवा रोज़गार के लिए दिल्ली सरकार की गारन्टी पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा और समय पर लोन चुकाने पर ब्याज का 50% तक दिल्ली सरकार द्वारा सबवेंशन स्कीम के रूप में दिया जाएगा।

महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लघु व कुटीर उद्योग या व्यापार करने जैसे, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, बूटीक आदि खोलने के लिए ब्याजमुक्त "रानी पद्मावती शक्ति ऋण योजना"को लाया जाएगा।
जहाँ तक संभव हो दिल्ली के सभी आवश्यक विभागों में उचित वेतन पर 6 Ure की दो पालियों का प्रचलन लाया जाएगा जिससे ना केवल रोजगार ही बढ़ेगा बल्कि प्रातः 8 बजे से AS 8 बजे कार्यालयों के चलने से बिना ब्रेक सेवाएँ जनता को प्राप्त होंगी। ऐसी दो पालियों का प्रयोग खेल, यातायात, स्वास्थ्य, जन सुविधाएँ, सफ़ाई, सुरक्षा जैसे विभागों में किया जाएगा।

- प्रत्येक परिवार को जीवनयापन सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक सरकारी या निजी नौकरी दी जानी चाहिए और अनौपचारिक क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए कम से कम 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- आंगनवाड़ियों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को हर वार्ड में सुविधाजनक बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- सभी क्षेत्रों के लिए रोजगार ट्रैकिंग के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।
- ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना चाहिए और ठेकेदार कार्यकर्ता प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए।
- एनडीएमसी में, रोजगार की निगरानी के लिए टीएमआर को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
- स्वच्छता कर्मचारियों की स्थिति को केवल स्वच्छता कर्मचारियों से ऊपर उठाकर नई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
- सरकारी सेवाओं में नौकरी सृजन किया जा सकता है, जैसे कि सरकार कार्यालयों में हाउसकीपिंग, सुरक्षा और कैंटीन में स्थानीय रोजगार को बढ़ाया जा सकता है।
- स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों को स्थापित करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय पार्किंग स्थलों को रात के बाजारों में परिवर्तित किया जा सकता है।

7. दिल्ली प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा नीति

दिल्ली की शिक्षा व तकनिकी व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित नए प्रावधान किए जाएंगे अथवा कुछ आवश्यक क़ानून भी संशोधित किए जाएंगे।

पढ़ाई वर्तमान और उज्जवल भविष्य की मूलभूत आवश्यकता है तथा दिल्ली में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई पर निरन्तर बढ़ते ख़र्च से अभिभावकों की टूटती क़मर को बड़ी राहत देने तथा शिक्षा के अधिकार को और प्रबल करने की दिशा में सभी सरकारी व प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को किताबों के सेट तथा यूनिफ़ार्म (वर्दी) के लिए हर वर्ष होने वाले ख़र्च से पड़ने वाले भार के लिए प्रतिपूर्ति राशी हमारी सरकार द्वारा सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में प्रदान की जाएगी।

जो भी व्यक्ति दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी करेगा उसे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना अनिवार्य होगा। इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और अभिभावकों के पास यह अधिकार भी रहेगा कि आगे की पढाई फिर चाहे वह निजी संस्थान में कराएं या विदेश में, उसके लिए वे स्वतन्त्र होंगे।

बाहरी दिल्ली ज़िला में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वैश्विक अनुसंधान केंद्र "युवा सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य विश्वविद्यालय" की स्थापना की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस विश्वविद्यालय को

विश्व की 10 उच्च कोटि की शिक्षा संस्थानों में स्थान मिले। साथ ही पूरे विश्व के अनेक देशों में सबसे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति इस अनुसंधान विश्वविद्यालय में की जाएगी।

दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की फ़ीस को नियंत्रित व कम किया जाएगा, पाँच लाख रूपए से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को मुफ़्त उच्च शिक्षा प्रदान की हमारी सरकार की TCT होगी।

हमारी सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी जितने प्रतिशत से उत्तीर्ण होंगे उसी अनुसार उन्हें छात्रवृति प्रदान की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा शिक्षा के उत्तम प्रदर्शन हेतू प्रति कक्षा 35 विद्यार्थियों का प्रावधान किया जाएगा।

किसी भी परिवार में दूसरी बिटिया को प्राथमिक से स्नाकोत्तर तक पूर्णतया शुल्क मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए "कल्पना चावला आदर्श शिक्षा योजना" को लागू किया जाएगा।

दिल्ली में तकनिक, अनुसन्धान एवं प्रोद्योगिकी शिक्षा के लिए राजकीय संस्थानों में विद्यार्थियों की सीटों को दुगना करने के लिए अत्याधुनिक "आचार्य चाणक्य तकनीकी अनुसन्धान एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय" की स्थापना की जाएगी।

शिक्षकों को प्रोत्साहन देने व अच्छा पढ़ाने पर सम्मानित करने के लिए विद्यार्थियों के सालाना प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन राशी दी जाएगी। शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा के सुधार के लिए सभी स्कूल-कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या दुगनी कर दी जाएगी।

दिल्ली के प्रत्येक ज़िले में स्पेशल स्कूल "सावित्री बाई फुले विशिष्ट विद्यालय" प्रदान किया जाएगा जिसमें सभी प्रकार के दिव्यांग विशेषकर, मूक-बधिर, नेत्रहीन, दिमाग़ी रूप से कमज़ोर आदि बच्चों को अत्याधुनिक व विश्वस्तरीय शिक्षा व सुविधाएं बिलकुल मुफ़्त उपलब्ध कराई जाएंगी।

दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण यहाँ न केवल पूरे भारत से अपितु विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं तथा उनके यहाँ ठहरने या प्रवास की समस्या बनी रहती है, जिसके निदान के लिए प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में छात्रावास निर्माण कराए जाएंगे।

दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों में शिक्षा के स्तर को निरन्तर प्रतियोगी बनाए रखने हेतू "शिक्षक विकास प्राधिकरण" बनाया जाएगा, जिसके द्वारा निरन्तर शिक्षकों को बदलते समय के साथ शिक्षा में हुए अनुसंधानों के आधार पर समय-समय पर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इसकी मदद से शिक्षा का स्तर निरन्तर बढ़ेगा जिसका सीधा फ़ायदा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य बनाने में मिलेगा साथ ही देश को अति-उत्तम शिक्षकों की पूँजी प्राप्त होगी।

दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की उचित प्रगति और पढ़ाई में आने वाली कठिनाईयों से उबरने, निराशा या पारिवारिक तकलीफ़ों से उबरने तथा उत्साह पूर्ण उज्जवल भविष्य बनाने के लिए

स्टूडेंट-पैरेंट काउंसिलर, मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलोजी तथा स्पीच-थेरेपिस्ट की नियुक्ति और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दसवीं तथा बारहवीं कक्षा में प्रति वर्ष राज्य स्तर पर सर्वोत्तम तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम पर अगले एक वर्ष के लिए निर्धारित सड़क मार्गों का नाम ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नाम पर रखा जाएगा।

- मुफ्त, विश्वस्तरीय शिक्षा: आवश्यकतानुसार प्राथमिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी छात्रों को मुफ्त, विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- आंगनवाड़ियों को पुनर्गठित और निगरानी में रखा जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- पाठ्यक्रम को तनावमुक्त और नैतिकता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि कक्षाएं, पानी और शौचालय, उपलब्ध कराई जाएंगी।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से, कक्षा 1 से 12 तक के अध्ययन सामग्री और यूनिफॉर्म की लागत की वापसी की जाएगी ताकि माता-पिता पर भार कम किया जा सके और दिल्ली की साक्षरता दर बढ़ाई जा सके।
- एक अनिवार्य मानदंड लागू किया जाएगा कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अलावा, माता-पिता को उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय और विदेशी संस्थानों के बीच चुनाव करने की स्वतंत्रता होगी।
- विकलांग छात्रों के लिए एक पूरी तरह से सुसज्जित विशेष स्कूल स्थापित किया जाएगा।
- एक अत्याधुनिक शोध विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ताकि विश्वभर के विद्वान भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में शोध कर सकें।
- नए कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी, जिनमें से 75% सीटें दिल्ली के निवासियों के लिए आवंटित की जाएंगी, जो क्षेत्र के समग्र विकास के केंद्र के रूप में कार्य कर सकें।
- मौजूदा विश्वविद्यालय शुल्क को नियंत्रित किया जाएगा और निम्न आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- विश्वविद्यालयों से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।
- तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तकनीकी कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो तकनीकी शोध को बढ़ावा दे सके।
- सभी कॉलेजों के छात्रों के लिए, हर जिले में छात्रावासों की स्थापना की जाएगी ताकि निजी आवासों द्वारा छात्रों का शोषण रोका जा सके।
- छात्रों को शैक्षिक चुनौतियों और व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए, स्कूलों में छात्र-माता-पिता काउंसलर्स, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर्स, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों और भाषण चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी।
- निजी ट्यूशन और उनके छात्रों की भलाई के प्रति जिम्मेदारी के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
- प्रवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए परिवहन, बोर्डिंग और पुस्तकालय की सुविधाओं के लिए सहायक सहायता दी जाएगी, बिना आग सुरक्षा और स्थानीय सुरक्षा से समझौता किए।

● एक विकेंद्रीकृत मॉडल लाया जाएगा जो इन शैक्षिक संस्थानों के आसपास सेवाएं प्रदान करने वाले छात्र और व्यवसाय समुदाय की सेवा करेगा और स्वचालित रूप से मेट्रो शहर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करेगा।
● मास्टर प्लान (MPD) के TOD दिशानिर्देशों को लागू किया जाएगा और शहर की उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार्षिक रिपोर्ट और एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

८. दिल्ली यातायात, सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन डीटीसी, मेट्रो, आरटी योजना आदि नीति

दिल्ली बतौर राष्ट्रीय राजधानी आज भी परिवहन व यातायात के प्रबन्धन व सुविधाओं के लिए कई प्रकार से मशक्कत कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर जाम और वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित परिवहन निति को लागू करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन एवं यातायात के नए आयाम एवं वैश्विक कीर्तिमान स्थापित होंगे। दिल्ली की भीड़भाड़ से अर्थव्यवस्था को सालाना ₹1,500 करोड़ का नुकसान होता है। हमारा लक्ष्य मेट्रो और बस सेवाओं का विस्तार करना है, जिससे 30% यात्री निजी वाहनों से दूर हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए समर्पित लेन बनाना है, जिससे कारों पर निर्भरता कम होगी। हम "स्मार्ट तरीके से चलें, स्वच्छ हवा में सांस लें" में विश्वास करते हैं - पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधानों को बढ़ावा देना।

डी टी सी: पूर्व सरकारों की नीतिगत विफ़लता के फ़लस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम जो एक समय पर राष्ट्रीय राजधानी की "लाईफ लाइन" कही जाती थी, नागरिक रेल से नहीं परिवहन निगम की बसों से घड़ी मिलाते थे, आज वही परिवहन निगम न केवल दया का पात्र ही बन चुकी है अपितु अपनी अन्तिम सांसे ले रही है। इसके पुनरोद्धार तथा जीर्णोद्धार का काम करेगी हमारी सरकार। इसमें सर्व प्रथम "दिल्ली परिवहन निगम" की ताकत को बढ़ाते हुए "दिल्ली परिवहन आयोग" बनाया जाएगा। इस आयोग के बनने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि दिल्ली प्रदेश में सभी प्रकार के सड़क सार्वजनिक परिवहन के सञ्चालन एंव प्रबन्धन दिल्ली परिवहन आयोग के अन्तर्गत लाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली परिवहन आयोग के लिए हमारी सरकार में प्रति वर्ष "विशेष आर्थिक बजट" का प्रावधान किया जाएगा

ई-रिक्शा: दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों के पास तथा प्रदेश में अन्य पर्यटन स्थलों के पास "SOFT पॉइंट" या "स्मार्ट ऑर्बिट फ़ॉर ट्रेवल Case" बनाए जाएंगे, जहाँ ना केवल ई-रिक्शा के चार्जिंग प्वाइंट ही प्रदान किए जाएंगे, साथ ही अत्याधुनिक शौचालय, पेयजल एवं स्वच्छता के विशेष प्रबन्ध आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

ई-रिक्शा पास-पैसेज: ई-रिक्शा के परिचालन में 236 से अधिक वर्जित सड़क मार्गों पर ई-रिक्शा चलाने के लिए ट्रेफ़िक पुलिस व PWD बड़ी मात्रा में घूसखोरी कर उगाही करते हैं। हमारामें इस महा-घूसखोरी व भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमारे अनुसन्धान अनुसार 198 वर्जित रास्तों के पर्तिबंध को डी पूरी तरह हटा कर समाप्त कर दिया जाएगा तथा अन्य मार्गों पर "ई-रिक्शा पास-पैसेज" बनाए जाएँगे। ई-रिक्शा के सुगम अनुभव व सुरक्षित यात्रा ST ड्राइवरों को उचित ड्राइविंग ट्रेनिंग के माध्यम से चालक-बैज जारी किए जाएंगे।

ऑटो-रिक्शा: दिल्ली प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सुधारने, प्रदूषण में कमी करने, तथा अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के यात्री-अनुभव को सुगम बनाने हेतू कई ऐतिहासिक क़दम उठाए जाएंगे, जिनमें प्रमुख हैं;

दिल्ली प्रदेश में दो हज़ार "SOFT पॉइंट" बनाए जाएंगे जहां पीने के पानी, छायादार पेसेंजर व वेहिकल वेटिंग, वेहिकल चार्जिंग स्टेशन, शौचालय, एम्बुलेंस व पीसीआर sec तथा टूरिस्ट पुलिस पिकेट आदि उपलब्ध होंगे।

दिल्ली में ऑटो-रिक्शा माफ़िया की कमर तोड़ने और मेहनतकश लोगों को सम्मानजनक रोज़गार सुनिश्चित करने हेतू सभी वर्तमान ऑटो-रिक्शा के लाइसेंस को समाप्त कर डेढ़-लाख नए परमिट जारी किए जाएंगे तथा इनके बैच तथा वेहिकल रजिस्ट्रेशन केवल मूल चालाक के नाम से करने का प्रावधान किया जाएगा। जो चालक पहले से दिल्ली में ऑटो-रिक्शा चला रहे हैं उन्हें वरीयता प्रदान कर प्राथमिक पञ्जीकरण किए जाएंगे।

०. दिल्ली में जो भी ऑटो-रिक्शा इलेक्ट्रिक-ऑटो में परिवर्तित होना चाहें उनके परमिट को इलेक्ट्रिक-ऑटो से बदलने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट, 100% ब्याज मुक्त फाइनेंस की सुविधा, तथा 30% तक ऑटो रिक्शा की ख़रीद पर सब्सिडी प्रदान करने की गारन्टी हमाराकी रहेगी।

दिल्ली में अतिरिक्त 50 हज़ार "पिंक ऑटो फ्लीट" के एक्सक्लूसिव परमिट केवल महिला चालकों के ही नाम पर किए जाएंगे तथा इस पिंक फ्लीट के सभी ऑटो महिलाओं द्वारा ही सन्ंचालित होंगे, पूरी तरह से वातानुकूलित तथा केबिन CCTV से लैस होंगे, तथा सभी प्रकार के यात्रीओं के लिए उपलब्ध VM इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर जहाँ एक ओर 100% छूट मिलेगी वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वाहन पर एक लाख़ रूपए की विशेष सब्सिडी हमाराद्वारा प्रदान की जाएगी।

दिल्ली ईस्टो-वेस्ट एक्सप्रेस कोरिडोर: दिल्ली प्रदेश में यातायात से लगने वाले जाम से राहत के लिए एक क्रन्तिकारी प्रोजेक्ट "दशरथ मांझी ईस्टो-वेस्ट एक्सप्रेस कोरिडोर" बनाया जाएगा, जिसके फ़लस्वरूप अनेक दशकों तक प्रदेश की आम जनता को बहुत बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस प्रोजेक्ट में नजफ़गढ़ नाले पर चार लेन का एलिवेटेड रोड़ 10 विशेष खण्डों में बनाया जाएगा जिसमें प्रमुख होंगे (1) ढांसा बोर्डर से धरमपुर, (2) धरमपुर से छावला कैम्प, (3) छावला कैम्प से ककरौला, (4) ककरौला से विकास नगर, (5) विकास नगर से केशो पुर, (6) केशोपुर से ई-एस-आई अस्पताल, (7) ई-एस-आई अस्पताल से इन्द्रलोक, (8) इन्द्रलोक से गुरु तेग बहादुर नगर, (9) गुरु तेग बहादुर नगर से नेहरु विहार (बाहरी रिंग रोड), और (10) नेहरु विहार (बाहरी रिंग रोड) से सोनिया विहार होंगे। यह कोरिडोर विश्व का सबसे लम्बा इस प्रकार का एलिवेटेड रोड़ होगा, जिससे बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण में कमी आएगी, प्रतिदिन दिल्ली की आम जनता की करोड़ों रुपए के ईधन तथा बहुमूल्य समय की बहुत बड़ी बचत होगी। साथ ही पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह मार्ग नजफ़गढ़ से भजनपुरा तक पूरी तरह से सिग्नल-फ्री साथ ही टोल-फ्री होने के की वजह से लगभग 2.0 घंटे का सफ़र मात्र 45 मिनट में पूरा कर सकेंगे। इस परियोजना के दोनों ओर सड़क की पूरी लम्बाई तक 10 लाख से अधिक पेड़ लगा कर वातावरण को SAT व स्वच्छ बनाया जाएगा।

DMMT Terminus: हमारादिल्ली में परिवहन एवं यातायात की एक सबसे महत्वकांक्षी परियोजना लाने को प्रतिबद्ध है जिसका नाम होगा "महाराणा प्रताप दिल्ली मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनस" जो दिल्ली या भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा और इकलौता ऐसा ट्रांसपोर्ट टर्मिनल होगा जो सड़क,

रेल, जल व वायु मार्ग की सेवाएं प्रदान करेगा। इस टर्मिनस को वर्तमान महाराणा प्रताप ISBT (15 एकड़) को बढ़ाकर 43 एकड़ के परिसर में एक बहुमंजिला व बहुआयामी प्लाज़ा में नव-निर्माण किया जाएगा, जिसमें पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए कुल आठ तल होंगे जिनमें (1) सरकारी तथा निजी अंतर्देशीय बस ऑपरेटरों के लिए एक-एक तल, (2) स्थानीय सार्वजनिक परिवहन जिसमें ऑटो-रिक्शा, CoA, व लोकल बसों के लिए एक तल, (3) पिक ws ड्राप के लिए निजी वाहनों (मोटर साईकिल, स्कूटर, कार इत्यादि) के लिए एक तल, (4) मेडिकल, प्रशासनिक, व न्यायिक परिसर के लिए एक तल, (5) यात्री पार्किंग के लिए दो तल, (6) खान-पान, परिधान आदि शोपिंग के लिए एक तल बनाया जाएगा। साथ ही मुख्य टर्मिनस बिल्डिंग से अतिरिक्त सात बहुमाज़िला ईमारतों जिनमें से प्रत्येक में कुल 40 से अधिक तल होंगे, उनका निर्माण किया जाएगा। इस टर्मिनस से दो फ्री-शटल सुरंग भी प्रदान की जाएंगी जिसमें से पूर्वी सुरंग यमुना घाट के वाटर-फ्रन्ट पर जल मार्ग को, तो दक्षिणी सुरंग दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के माध्यम से भारतीय रेल नेटवर्क को जोड़ेगी। परियोजना के मुख्य कोम्प्लेक्स के भीतर से ही मेट्रो रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने के साथ ही दिल्ली के अन्तर्देशीय टर्मिनल-4 तथा अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल-3 हवाई अड्डे पर आना-जाना न केवल आसान व सुविधाजनक अपितु बहुत किफ़ायती भी हो जाएगा।

दिल्ली प्रदेश में परिवहन प्रणाली को और मज़बूत तथा सुविधाजनक बनाने तथा शहर के भीतर के यातायात के बेहतर प्रबन्धन के लिए पाँच मल्टिस्टोरी व बहुआयामी अंतर्राज्य बस टर्मिनल दिल्ली की विभिन्न दिशाओं में प्रवेश द्वारों के समीप बनाए जाएंगे। यह बस टर्मिनल होंगे (A) नॉर्थ टर्मिनल: Ts ट्रंक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर महाराजा अग्रसेन ISBT, (8) नॉर्थ वेस्ट टर्मिनल: राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर महाराजा सूरजमल ISBT, (C) साउथ वेस्ट टर्मिनल: राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर वीर कुंवर सिंह ISBT, (0) साऊथ टर्मिनल: राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर महाराजा मिहिर भोज ISBT, तथा (E) ईस्ट टर्मिनल: आनन्द विहार स्वामी विवेकानंद ISBT को रिडीवेलप कर बनाया जाएगा।

मोनो रेल: दिल्ली प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण व सीमावर्ती क्षेत्रों के उत्थान व प्रगति को हमारामें विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके अन्तर्गत दिल्ली के सबर्बन क्षेत्रों के लिए विशेष 231 किलोमीटर "सबर्बन मोनो रेल" का निर्माण किया जाएगा। इस मोनो रेल का नेटवर्क दिल्ली के सबर्बन को अर्बन दिल्ली के सभी ISBT, औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख रेलवे स्टेशनों सहित महाराणा प्रताप DMMT टर्मिनस को भी जोड़ेगा। इस परियोजना से दिल्ली में जाम की समस्या से तो बड़ी राहत मिलेगी ही साथ ही ग्रामीण इलाकों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर विनिर्माण का लाभ मिलेगा।

दिल्ली शटल सर्विस: जिन सड़कों पर लो-फ्लोर बड़ी बसें नहीं जा सकती हैं ऐसे मार्गों जिनकी चौड़ाई 30 फुट से अधिक है को चिन्हित कर, उन पर दिल्ली परिवहन आयोग द्वारा छोटी बसों की शटल सेवा को चलाया जाएगा! प्रदेश में दिल्ली परिवहन आयोग द्वारा एक नई सेवा का परिचालन किया जाएगा जिसका नाम होगा "Delhiites-Shuttle" या "दिल्ली शटल सर्विस" मतलब दिल्ली वालों की शटल GAM इस शटल सेवा का परिचालन रिहायशी इलाकों में 30 फुट से अधिक चौड़े मार्गों पर कालोनियों के प्रमुख चौराहों व बाज़ारों के नज़दीक लोगों को लाना ले जाने के लिए होगा।

DTC की बड़ी बसें: दिल्ली में 200 से अधिक बस टर्मिनल बनाए जाएंगे जिसमें बीस हज़ार से अधिक बसें चलाई जाएंगी। 010 के मासिक तथा वार्षिक पास के साथ रु5 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ़्त देने

का प्रयोजन भी लाया जाएगा ताकि किसी भी छोटी या बड़ी दुर्घटना में यात्रीओं के ईलाज के लिए वे सक्षम व CITA हों।
872 प्लाज़ा: दिल्ली परिवहन आयोग की आय बढ़े इसके लिए सभी बस डिपो व प्रमुख टर्मिनल में बहुमंज़िला "बस ट्रांसपोर्ट एंव कमर्शियल प्लाज़ा" का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा, इन प्लाज़ा की विशेषताओं में प्रमुख होंगे आयोग डिपो कार्यालय, पुलिस चौकी तथा निजी प्रकरण से आय हेतू भूतल पार्किंग, लाईब्रेरी, सुपर-मार्किट, फ़ूड-प्लाज़ा, शोरुम आदि तथा ऊपर की मंजिलों पर बैंक या ऑफ़िस बनाने हेतू कमर्शियल टावर्स को आम जनता के लिए लीज़ पर उपलब्ध कराया जाएगा।
RTSS कमीशन: दिल्ली में दूषित राजनीति और विश्वासघात का शिकार हुए सभी लगभग 11,000 बस मार्शलों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी तथा योग्यतानुसार परिवहन आयोग के अन्य विभागों में पदोन्नति का प्रावधान करने के लिए हमारेप्रतिबद्ध रहेगी। साथ ही पर्यप्ति मात्रा में चालक व परिचालकों की भर्ती कर 100% बसों का प्रतिदिन परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली में "रोड़ ट्रांसपोर्ट सेफ्टी स्टेंडर्ड कमीशन" का गठन किया जाएगा, साथ ही दिल्ली में यातायात व वाहनों के परिचालन सम्बन्धी दो विशिष्ट कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जहाँ पर चालक, परिचालक, व्यवस्थापक, सुरक्षाकर्मी, आपातकाल जैसे अनेक कौशल उपलब्ध कराए जाएंगे तथा यहाँ के प्रशिक्षितों को आयोग की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही प्रदेश प्रशासन के अन्य विभागों में भी ऐसे प्रशिक्षितों को वरीयता प्रदान की जाएगी। इससे परिवहन व्यवस्था तो सुधरेगी ही साथ ही दिल्ली की सड़कें और अधिक सुरक्षित होंगी। दिल्ली के सभी प्रमुख छोटे-बड़े बाज़ारों, दिल्ली के प्रवेश स्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों जैसी जगहों पर भूमिगत तथा बहुमंज़िला पार्किंग व्यवस्था की एक सुरक्षित प्रणाली बनाई जाएगी जिससे जहाँ-तहाँ जाम लगने की स्थिति से कुछ आराम मिले।

9. दिल्ली वरिष्ठ नागरिक व विकलांग दिव्यांग नीति

वृद्धा, दिव्यांग तथा विधवा पेन्शन को "सरल पेन्शन पोर्टल" के माध्यम से नागरिकों की पेन्शन चालू कर उन्हें एक सम्मानजनक व्यवस्था प्रदान की जाएगी तथा उन्हें अपनी पेन्शन प्राप्त करने के लिए दर-दर नहीं भटकना होगा।

प्रदेश में "सेवा आयोग" की स्थापना की जाएगी जिसके अन्तर्गत दिव्यांग, वरिष्ठ एवं विधवा या सम्बन्धित नागरिकों के अधिकारों, सेवाओं, एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समर्पित होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए समुदाय भवनों तथा वाटर फ्रन्ट स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों हेतू "चौपाल" बनाए जाएंगे जहां उनके मनोरंजन, मेल-जोल, नियमित seer चैकअप, व्यायामशाला तथा जन-सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

10. दिल्ली महिला एवं बाल विकास नीति

- कानूनी और संस्थागत ढांचा – लिंग आधारित हिंसा और बाल शोषण के मामलों के लिए समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए।

- लड़की के जन्म पर माँ को 21,000 रुपये दिए जाएँगे।
- दिल्ली बाल अधिकारों से संबंधित चार महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रही है: बालश्रम, बच्चों में बेघर होना, बाल स्वास्थ्य सेवा में बाधाएँ और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में ख़तरनाक वृद्धि । कोविड-19 महामारी ने इन मुद्दों को और बढ़ा दिया है, जिससे ऐसे मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है और बाल अधिकारों की सुरक्षा में हुई प्रगति को ख़तरा पैदा हुआ है।

बाल श्रम का मुकाबला करना: बचाए गए बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करके उनका समर्थ न करने के लिए जिला-स्तरीय पुनर्वास केंद्र स्थापित करेंगेगे। लोगों को बालश्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और इसके होने के खिलाफ़ सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और पड़ोस में सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाएँगे।

बेघर बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं से लैस राज्य-वित्त पोषित आश्रयों और अल्पकालिक पालन-पोषणगृहों का विस्तार करेंगे। जहाँ भी संभव हो, माता-पिता और अभिभावकों के साथ मिलकर काम करके परिवार के पुनर्मिलन को बढ़ावा दें। बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए कमज़ोर परिवारों को वित्तीय सहायता और परामर्श प्रदान करेंगे।

विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान, नियमित स्वास्थ्य जाँच और पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाकर बाल स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करेंगे। महामारी के दौरान बाधित हुए मुख्य स्वास्थ्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बच्चों के सामने आने वाली बढ़ती मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में बच्चों के अनुकूल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू करेंगे।

स्कूलों में व्यवधान के कारण कई वर्षों तक पढ़ाई से वंचित रहने वाले बच्चों के लिए लचीले स्कूल समय और ब्रिज कोर्स लागू करेंगे। स्कूलों में बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करेंगे ताकि वे सक्रिय रूप से निगरानी कर सकें और पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या को रोक सकें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बच्चे को अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिले।

यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को संबोधित करने के लिए, पीड़ितों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में फास्ट-ट्रैक अदालतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए।

वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर के लिए आवंटित केंद्र सरकार के अनुदान का पूरा उपयोग सुनिश्चित करेंगे, जो वर्तमान में कम उपयोग किया जा रहा है, ताकि संकट में महिलाओं के लिए चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

पुलिसबलों में अधिक महिला कर्मियों की भर्ती करेंगे और पुलिस स्टेशनों पर केवल महिलाओं के लिए सहायता डेस्क स्थापित करेंगे।

संकट में महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने और कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 15,000 महिला सुरक्षागार्डों को "सुरक्षासखी" के रूप में तैनात करेंगे। ये उपाय सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्पीड़न और हिंसा को सक्रिय रूप से रोकेंगे और महिलाओं को अधिक सुरक्षा की भावना से सशक्त बनाएंगे।

महिलाओं को उनके व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने या उन्हें बढ़ाने में मदद करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण देकर उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। यह पहल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देगी, उद्यमशीलता को बढ़ावा देगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

खाना पकाने और घरेलू प्रबंधन सहित उनके अवैतनिक श्रम के माध्यम से अर्थव्यवस्था और समाज में गृहणियों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करेंगे। वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और वैवाहिक

विवादों, तलाक या विधवा होने के मामलों में उनकी सुरक्षा के लिए गृहणियों के लिए पेंशन शुरू करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके योगदान को महत्व दिया जाए और उनका समर्थन किया जाए। (महिलाओं के लिए लक्षित वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करेंगे, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े क्षेत्रों में, ताकि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाया जा सके।

11. दिल्ली स्लम जेजे क्लस्टर विकास

संस्थागत रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 10.40 लाख से अधिक परिवारों के 50 लाख से अधिक लोग Sets व झुग्गी-झोपड़ी के नर्क रूपी जीवन जीने को मजबूर हैं। आज़ादी के सात दशकों बाद भी राष्ट्रीय राजधानी की जनता के सर पर छत, पीने के स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का नहीं होना समस्त दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही शर्मनाक है।

झुग्गी-झोपड़ी के पुनर्वास के लिए हमाराकी पहली केबिनेट मीटिंग में एक TASK-FORCE का गठन किया जाएगा, जो दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी में बसे प्रत्येक परिवार वालों को एक आदर्श आवास उपलब्ध करवाएगी और प्रदेश में कहीं भी फ़िर से झुग्गी-झोपड़ी ना बने इसके लिए आवश्यक प्रबंधन करेगी।

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए अनेक पुनर्वास कालोनी "श्री गुरुहरकिशन आदर्श आवास" योजना
के अन्तर्गत बीस लाख से अधिक घर बनाए जाएंगे, प्रत्येक घर सभी आधुनिक तकनीकों के आधार पर निर्मित होंगे। झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए घरों की कीमत की वसूली वहाँ के लिए कमर्शियल मार्किट बनाकर और उसमें बनी दुकानों को बेचकर पूर्ति की जाएगा

12. दिल्ली पीने का पानी

दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो दशकों से जल-संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना अतिआवश्यक है अतः हमारादिल्ली में जल-संकट को ch के साथ 100% समाधान करने के लिए निम्लिखित योजनाओं पर प्रभावशाली ढ़ंग काम करेगी।
सीवर ट्रिटमेंट प्लांट: दिल्ली के सभी नालों व सीवरों के पानी को साफ़ कर शुद्ध बनाया जाएगा तथा उससे बचे अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में बदल कर दिल्ली के url, हरित पट्टियों, कृषि कार्य, व उद्योगों में प्रयोग किया जाएगा।
दिल्ली में पेय जल की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए नजफ़गढ़, बुराड़ी, उस्मानपुर व ओखला सहित 43 चिन्हित जगहों पर कुल 12 लाख MG मात्रा के भूमिगत स्टोरेज एरिया का निर्माण किया जाएगा जिससे दिल्ली को गर्मी से भरे पांच महीने से अधिक तक राहत मिलेगी एवं जल आपूर्ति हो सकेगी।

पूरी दिल्ली में जनसख्या के आधार पर एक समान जल वितरण के लिए इन्टर-ज़ोनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल (1200) का निर्माण कराया जाएगा तथा दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में सात दशकों से पुरानी पानी की जंग लगी, दूषित व लीक करती मेन डिस्ट्रीब्युशन लाईन को बदलने के लिए 4,600 करोड़ रुपए के विशेष बजट का प्रायोजन किया जाएगा। जिससे प्रत्येक परिवार को जल की सीधी सप्लाई से पानी प्राप्त होगा तथा दिल्ली के 1000 CRW वार्डो में प्रत्येक को न्यूनतम 11150 स्वच्छ पेयजल की सप्लाई 100% गारन्टी से वितरित किया जाएगा।
दिल्ली में हरियाणा से खुली नहर व नदी के माध्यम से आने वाले प्रदूषित जल तथा जल की चोरी से विशेषकर ग्रीष्म ऋतू में जल संकट गहराने लगता है। अतः दिल्ली में पानी की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति व भविष्य के स्थाई समाधान हेतू 72 इंच व्यास की ट्विन-चैनल (दोहरी लाइन) की भूमिगत वाटर चैनल "रविन्द्रनाथ टैगौर ट्विन-चैनल पेयजल परियोजना", पंजाब के हम्बेवाल में स्थित नंगल बैराज से (1) NH-503 से NH-205A तक 101 कि०मी०, (2) NH-205A से NH-152 तक 43 कि०मी० और (3) NH-152 से दिल्ली के समयपुर तक वाया NH-44 तक 201 कि०मी० की कुल 345 कि०मी० लम्बी समर्पित सप्लाई लाईन बिछाई जाएगी। इस भूमिगत वाटर चैनल के स्रोत से निकास तक समुद्र तल ऊँचाई के आधार पर प्राकृतिक ढ़लान 296मी० होने से, जल का वेग 4.94710॥ प्राप्त किया जा सकेगा तथा 79499॥&प्रत्येक पाईप से शुद्ध जल निकासी प्राप्त होगी।
दिल्ली के सभी पार्क, स्कूल, कॉलेजों, अस्पताल, बारात घरों, फ़ार्म हाउस के साथ ही 200 वर्ग मीटर या इससे बड़े आवासीय व व्यावसायिक परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा तथा ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग प्लान्ट लगाने पर सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। इसकी मदद से दिल्ली में भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी।

वर्षा के कारण दिल्ली में चारों ओर लगने वाले अनियंत्रित ट्रेफ़िक जाम को समाप्त करने के लिए जल-भराव वाली जगहों पर सात हज़ार से अधिक छोटे-बड़े वाटर हार्वेस्टिंग संयंत्र तथा स्वचालित IER लगाए जाएंगे, जिससे कारण ट्रेफ़िक जाम नहीं लगेगा तथा वर्षा जल सीधे भूगर्भ में संचित हो जाएगा। बारिष में जगह-जगह पर जल भराव के संकट से बचने के लिए बड़े पैमाने पर ऐसी सड़कों को चिन्हित किया जाएगा जिनके दोनों और से कोई भी बरसाती नाला जाता है या पानी की निकासी है तो, ऐसे नालों में अत्यधिक और हर संभावित नालों में पानी की गतिमान निकासी के लिए इन्टरलोकिंग की जाएगी।

विश्व में हर कहीं पेयजल को जनता के सबसे प्रमुख अधिकारों में शामिल किया गया है जो कि दिल्ली प्रदेश में भी है परन्तु केवल कागज़ों पर। दिल्ली में जहाँ भी संभव हो विशेषकर प्रमुख बस स्टैण्ड, बस टर्मिनल, मैट्रो स्टेशनों के नज़दीक, व्यस्त सड़कों में बने बस या ट्रक-बे या TSR स्टैण्ड के पास उच्च कोटि के स्वच्छ पेयजल के 20,000 से अधिक नलों के स्वचालित बायो-डिग्रेडेबल प्याऊ लगाए जाएँगे। साथ ही कम से कम 2,000 से अधिक अत्याधुनिक एवं स्वचालित, शुद्ध व शीतल, जल-#श। दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएँगे।

13. दिल्ली हेल्थकेयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य

दिल्ली स्वास्थ्य देखभाल नीति

- मोहल्ला क्लिनिक को बेहतर ढंग से सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें सहायक स्टाफ और वार्ड स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और इनकी नियमित निगरानी की जाएगी।
- समय पर अनुदान जारी किए जाएंगे, जिससे हर वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी परेशानी के प्रदान की जा सकें।
- निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की दरों को CGHS सेवाओं के समान निर्धारित किया जाएगा।
- आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को नोडल स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय करके मासिक गुणवत्ता जांच, दवाइयों की सुविधाओं और चिकित्सा कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करनी होगी।
- सरकारी सामुदायिक केंद्रों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को ठीक किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता पर मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी, साथ ही द्विवार्षिक चिकित्सा जांच भी सुनिश्चित की जाएगी।
- मोबाइल मेडिकल हेल्थकेयर वैन शुरू की जाएंगी, ताकि मौतों को रोका जा सके।
- समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त घर-घर पर परामर्श और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों को परेशानी न हो।
- अस्पतालों के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जा सके, जिससे लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं होना पड़े।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को फिर से सुसज्जित और सही तरीके से प्रबंधित और निगरानी में रखा जाएगा।
- 24 घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध होगी, ताकि कभी भी चिकित्सा जानकारी प्राप्त की जा सके।
- जनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके।
- अस्पतालों को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य रिकॉर्ड समय-समय पर उपलब्ध हो सकें।
- 24×7 मुफ्त एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुफ्त शवगृह सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

14. दिल्ली की वर्तमान मुफ्त योजनाओं के बेहतर विकल्प

- राजनीतिक दल बिना वित्तीय प्रभाव का आकलन किए मुफ्त उपहारों का वादा कर के एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अक्सर बुनियादी ढांचे के विकास रोकने का खतरा होता है। कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, उन्हें आश्रित नहीं बनाना चाहिए। लाभार्थियों को किसी न किसी रूप में योगदान देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बने रहें।

- इसके बजाय, कल्याणकारी योजनाओं का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें अनिवार्य कौशल-निर्माण कार्यक्रम शामिल हों, जिससे लाभार्थियों को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उदाहरण के लिए, सामुदायिक से वाया कौशल-प्रशिक्षण पहल' स्वावलंबन कौशल योजना' में भागीदारी के बदले में मुफ्त शिक्षा या वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने से पहले उनकी दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता और बुनियादी ढांचे के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

15. दिल्ली कानून व्यवस्था

- सीसीटीवी कैमरे और एक निगरानी कक्ष प्रत्येक समुदाय पुनर्वास कार्यशाला (CRW) में स्थापित किए जाएंगे ताकि क्षेत्र में अपराधी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके।
- दिल्ली होमगार्ड्स के तहत, युवाओं के कमांडो को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महिलाओं के स्व-रक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सड़क लाइट्स को पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाएगा ताकि रात के समय अपराधों को रोका जा सके और अंधेरे क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- सड़क दुर्घटनाओं के मामले में, मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और पैदल यात्री या साइकिलिस्ट के मामले में 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यातायात प्रवाह को आसान बनाने, यातायात जाम को समाप्त करने और पैदल यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रयास किए जाएंगे, साथ ही उचित फुटपाथ और पैदल यात्री क्रॉसिंग रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।
- सीसीटीवी कैमरे सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, और AI-आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली पेश की जाएगी, जो संदिग्ध गतिविधियों या घटनाओं का पता लगाने में मदद करेगी।
- सुरक्षा उपायों, अपराध रोकथाम और आपातकालीन प्रोटोकॉल पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित किया जाएगा, और सरकारी योजनाओं को स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, इंटरनेट चैनलों और NGOs के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।
- कानून की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित सर्वेक्षण, मूल्यांकन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।
- कमांडो को सार्वजनिक परिवहन में तैनात किया जा सकता है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, और कमांडो को मोहल्लों में भी तैनात किया जा सकता है ताकि अपराधी गतिविधियों को रोका जा सके।
- स्पा केंद्रों में वेश्यावृत्ति को कड़ी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा।
- पुलों के नीचे अतिक्रमणों को नियंत्रित किया जाएगा।

- गृहकर्मियों का पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाएगा और रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- एसीपी कार्यालय के तहत पड़ोस योजना को प्रभावी बनाया जाएगा और थाना स्तर की समिति को किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- थाना स्तर की समिति का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें RWA/MTA के वास्तविक प्रतिनिधि शामिल होंगे

16. दिल्ली ग्राम क्षेत्र विकास

दिल्ली ग्रामीण की पुरानी पंचायती राज व्यवस्था को पुनः दिल्ली के सभी ग्रामीण व शहरी ग्रामों पर लागू कर चुनाव कराये जाएँ ।
दिल्ली राज्य सरकार में एक विशेष मंत्रालय दिल्ली के ग्रामों की समस्याओं को हल करने हेतु बनाया जाए ।
लाल डोरा की व्यवस्था को कायम रखते हुए आज की बदली जरुरत के अनुसार लाल डोरे का विस्तार किया जाए । और साथ ही साथ एक मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉ पंचायतों की देखरेख में बनाया जाए ।

दिल्ली ग्रामीण में खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का समुचित ध्यान रखा जाए ।

दिल्ली ग्रामीण की सड़क, पानी, सीवर व नाली सफाई आदि समस्याओं को प्राथिमिकता के आधार पर हल किया जाये ।

17. दिल्ली प्रशासनिक सुधार

- न्यायधीशों की समय पर नियुक्ति के लिए नीति सुधार किया जाएगा, ताकि लंबित मामलों का समाधान हो सके।
- प्रभावी न्याय और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा आधारित परीक्षण प्रक्रिया लागू की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।
- एक न्यायपालिका जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाएगा और न्यायिक सहायक कर्मचारियों और न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने में देरी के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए ऑडिट किया जाएगा।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए जाएंगे, जो 3 से 6 महीने के भीतर मामले का समाधान कर सकें।
- प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में वाईफाई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई जाएगी।
- सरकार द्वारा वार्षिक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सभी नियमों, नीतियों और योजनाओं के लागू होने की स्थिति का उल्लेख होगा।
- राज्य सरकारों द्वारा मास्टर प्लान, राज्य बजट और वार्ड स्तर के बजट के कार्यान्वयन की स्थिति पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।
- मासिक परामर्श और समीक्षा तंत्र की शुरुआत की जाएगी ताकि शासन प्रणाली नागरिकों के अनुकूल हो सके।

- सभी सरकारी गतिविधियों को डिजिटाइज़ किया जाएगा।
- विकास कार्यों और विधानसभा में विधायक निधि के खातों को जनसाधारण के मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा।

18. दिल्ली कला, संस्कृति, विरासत स्थल और भाषा

दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण और यहाँ की पुरातन व ऐतिहासिक इमारतों की वजग से पूरे विश्व में ना केवल विख्यात है बल्कि देशी व विदेशी सेलानियों के लिए भी पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का प्रमुख केंद्र है और इस वजह से एक बहुत बड़े वर्ग को रोज़गार प्राप्त है।

हमारी सरकार दिल्ली की परिवहन व्यवस्था, साफ़-सफ़ाई की व्यवस्था, प्रदूषण को कम करने के उचित उपाय करेगी जिससे रोज़गार के अवसर बड़ी मात्रा में पैदा होंगे साथ ही देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे दिल्ली के युवाओं के लिए बहुतायत में नए रोज़गार भी पैदा होंगे।

- चल रही भाषा प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए, मैथिली, भोजपुरी और राजस्थानी को हिंदी, पंजाबी और उर्दू के अतिरिक्त राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- दिल्ली में नई अकादमियों की स्थापना की जाएगी, प्रत्येक अकादमी एक विशेष भाषा पर केंद्रित होगी, बशर्ते उस भाषा के 50,000 से अधिक वक्ता क्षेत्र में हों।
- दिल्ली में "भारतीय भाषा अकादमी" स्थापित की जाएगी, जो भारत में किसी भी स्थान पर कम से कम 30,000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं को बढ़ावा देगी।
- प्राचीन भाषा संस्कृत को सरल बनाने और बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली में एक "वेदिक रिसर्च विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाएगा, जो संस्कृत सहित विभिन्न क्षेत्रों पर शोध करेगा।

19. दिल्ली खाद्य सुरक्षा एवं विपरण निति

- खाद्य सामग्री के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा । दिल्ली में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए खाद्य निरीक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जो नियमित रूप से खाद्य पदार्थों का परीक्षण करेंगेगे।
- व्यापारियों और विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की नियमित जांच और परीक्षण के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे मिलावट को आसानी से पकड़ा जा सके।
- विपरण नीति के तहत कृषि उत्पादों और खाद्य सामग्रियों के वितरण प्रणाली में सुधार किया जायेगा, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँच सकें। इससे न केवल खाद्य मिलावट की संभावना कम होगी, बल्कि किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक स्वस्थ व पारदर्शी संबंध भी बनेगा।

20. नशा मुक्त दिल्ली

हमारी सरकार में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू किया जाएगा।

दिल्ली प्रदेश में महिलाओ पर होने वाले अपराधों में 80% मामलों में शराब का बड़ा योगदान है। शराब के अलावा दूसरे नशों को रोकने के लिए दिल्ली के समस्त CRW में "दिल्ली सेल्फ डिफेन्स"व "दिल्ली पुलिस" की संयुक्त टीम बनाई जाएंगी, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के नशों के साथ ही छोटे बच्चों द्वारा लिया जाने वाला नशा भी रुक सकेगा

सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो रेल व बसों, तथा परिसरों जैसे की न्यायालयों, अस्पतालों, स्कूलों या अन्य शिक्षा संस्थानों, आदि में धुम्रपान/ मदिरापान करते पकड़े जाने या प्रत्यक्ष रूप से साबित होने को गैर-ज़मानती अपराधों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा तथा सख्ती से क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली प्रदेश में अवैध रूप से नशे का कोई भी सामान बेचने वालों के ख़िलाफ़ उत्तम विडिओ सुबूत जुटा कर उसे क़ानूनी प्रक्रिया के लिए जमा कराने वालों के लिए उचित इनाम का प्रायोजन किया जाएगा।

दिल्ली में स्कूलों से 200 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों को बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष WhatsApp नम्बर जारी किया जाएगा, जिस पर जनता द्वारा भेजे गए विडिओ को ही शिकायत का आधार मानकर निष्पक्ष जाँच व सख्त कार्यवाही की जाएगी

21. बिजली और उर्जा आपूर्ति

देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में अभी तक पूर्णतया बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है विशेषकर अनियमित कालोनियों, उद्योगों, कारखानों तथा कृषि के क्षेत्र में, साथ ही अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार से दिल्ली की जनता त्रस्त है।

इसलिए उर्जा के क्षेत्र में इन समस्याओं के निस्तारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- दिल्ली में विद्युत् वितरण करने वाली सभी कम्पनियों का ठेका रद्द किया जाएगा तथा दिल्ली की तीनों कम्पनियों द्वारा चलाए जा रहे लूट-तंत्र को पूर्णतया बन्द कर दिया जाएगा

- दिल्ली की कॉलोनीयों में बिजली के खम्बों पर बिजली, इंटरनेट, केबल टीवी, व टेलिफ़ोन आदि के उलझे हुए तार प्रत्येक वर्ष गर्मियों में जगह-जगह आग लगने की दुर्घटनाओं का विशेष कारण बनते हैं और इससे जानमाल की बड़ी मात्रा में क्षति व हानि होती है। ऐसे उलझे हुए तारों के जंजाल से

हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए सभी बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही इंटरनेट व अन्य संचार के तार इत्यादि के लिए भी उचित भूमिगत व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा।

• दिल्ली को बिजली पर पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाने के लिए PWD द्वारा लगाई गई सभी हाई-मास्ट लाइटों, सभी सरकारी भवनों व 200 वर्ग मीटर से बड़े आकार की निजी ईमारतों पर सौर उर्जा GAT लगवाए जाएंगे।

• दिल्ली के सभी वाटर ट्रीटमैंट प्लान्ट्स में बहुतायत उपलब्ध भूमि में सौर उर्जा संयत्रों को लगाया जाएगा जिससे ऐसे प्लांटों में ना केवल उर्जा के ख़र्च में कटौती ही होगी अपितु सभी अतिरिक्त उर्जा को दिल्ली की बिजली आपूर्ति में लगाया जाएगा।

• जहाँ एक ओर बेरोज़गारी अपने चरम पर है, वहीं महंगाई ने मध्यम वर्ग के युवाओं व परिवारों की हालत ख़राब कर रखी है, ऐसे में दो वक्त की रोटी कमाने अपने वाहनों से पूरा दिन मेहनत करने वालों OK PAR बढ़ती पेट्रोल की कीमतों की वजह से घर की रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक के ख़र्च के बोझ से राहत प्रदान करने हेतू दिल्ली प्रदेश में पैट्रोल पर पूरी तरह से VAT (वैल्यू एडेड CHA) को हटा दिया जाएगा, जिससे 60 लाख़ से अधिक स्कूटर व मोटरसाईकिल चालकों के परिवार साथ ही 16 लाख से अधिक फ़ैमिली कार चालकों के परिवारों को बड़ी राहत व लाभ मिलेगा।

22. पार्क, बगीचे और जंगल (दिल्ली पर्यावरण नीति)

दिल्ली आज देश ही नहीं विश्व के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होने के साथ ही दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा प्राप्त कर चुकी है और प्रदूषण का स्तर दिल्ली में घटने का नाम ही नहीं ले रहा, अतः हमारामें इसके लिए निम्नलिखित योजना संकल्पित है:

दिल्ली में हरियाली क्षेत्र को न्यूनतम 25% तक बढ़ाया जाएगा तथा बड़े पैमाने पर वार्षिक लक्ष्य आधारित "सुन्दर लाल बहुगुणा वृक्षारोपण परियोजना" के तहत बहुतायत में पेड़ लगे जाएंगे।

दिल्ली के घरों में लगने वाले छोटे पोधों व लताओं, बेलों आदि को लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित
किया जाएगा। आम जनता के घरों में प्रदूषण कम करने वाले पोधों को अत्यधिक संख्या में लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने में बहुत सहायता मिलेगी।

दिल्ली में "दशरथ माँझी ईस्टो-वेस्ट एक्सप्रेस HRS" के दोनों ओर सड़क की पूरी लम्बाई तक 10 लाख से अधिक पेड़ लगा कर वातावरण को उन्नत व स्वच्छ किया जाएगा।

जो भी दिल्ली वासी अपने घर की Gat पर 20% से अधिक जगह हरियाली करने, सोलर प्लांट लगवाने में
प्रयोग करेंगेगे, उन्हें CRW द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में कोई भी बिल्डर फ्लैटों वाली इमारतों या

अन्य निजी इमारतों के कॉमन-एक्सेस-एरिया के लिए 2.0 के-वी तक के सोलर प्लान्ट पर विशेष सब्सिडी दी जाएगी। इनकी बिजली से छोटी ईमारतों के पार्किंग, सीढ़ियों तथा गलियारों अथवा छतों में प्रकाश के प्रबन्ध न केवल आसान बल्कि किफ़ायती भी बनाए जा सकेंगे।

कूड़े का सम्पूर्ण निस्तारण करके दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए सभी डम्पिंग ग्राउंड को ख़त्म कर उनके स्थान पर PS के 100% निपटान Te के तहत बड़े विश्वस्तरीय स्वचालित "HST छंटनी प्लान्ट" Waste Sorting Plant लगाए जाएँगे।

दिल्ली को प्रदूषणमुक्त बनाने और हरियाली बढ़ाने के लिए, दिल्ली के सभी पार्कों में, प्रमुख चौराहों पर और ऐसी जगहों पर जहां प्रदूषण का मात्रा अधिक हो, वहां एक लाख मिस्ट-स्प्रे तथा स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे जिससे हरियाली बढ़ेगी, गर्म वातावरण में नमी उत्पन्न की जाएगी, घरों TAC कम चलेंगे जिससे वातावरण की गुणवत्ता बढ़ेगी

दिल्ली के शहरी नालों में संभावित स्थानों पर पानी के शुद्धिकरण के प्लान्ट लगाए जाएँगे जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यमुना नदी में नालों का पानी मिलने से पहले जलवायु की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध हो तथा नदी के समक्ष वृक्षों तथा वनों को नवजीवन प्राप्त हो।

डिजिटल सेंसर्स और आईओटी उपकरणों को तैनात करके, हम वायु गुणवत्ता, जल प्रदूषण, और हरित संरक्षण की निगरानी करेंगेगे ताकि एक टिकाऊ शहर बनाया जा सके।

- सीएनजी पर प्रोत्साहन बढ़ाए जाने चाहिए ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम किया जा सके।

- हवा को शुद्ध करने और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए रिज पर वनस्पति रोपण किया जाना चाहिए।

- दिल्ली में अधिक हरे क्षेत्र, पार्क और बोटैनिकल गार्डन विकसित किए जाने चाहिए, जो मनोरंजन स्थल और वन्यजीवों के आवास के रूप में कार्य कर सकें।

- मौजूदा हरे ढांचे को जैव विविधता गलियारों के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके।

- अगले पांच वर्षों में हर साल 10 लाख पेड़ लगाए जाने चाहिए और पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व वाले पेड़ों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

- हरे छतों को बढ़ावा देने के लिए हर प्रशासनिक कार्यालय और घरों में मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे।

23. दिल्ली नगर नियोजन एवं अवैध कॉलोनियाँ

- स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर: स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राथमिकता से निवेश किया जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा दक्षता वाली इमारतें, और कचरा प्रबंधन शामिल होंगे साथ ही नए भवन आपदा प्रतिरोधी डिज़ाइन सिद्धांतों का पालन करते हुए किए जाएंगे।

- नगरीय प्रबन्धन: झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास कर सम्मानजनक आवासीय परिसरों को बसाया जाएगा, जहां सभी मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी होंगी ही साथ ही मिश्रित उपयोग क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर व्यापार के अवसरों को भी बढ़ाया जाएगा।

कचरा से ऊर्जा प्रौद्योगिकी: सड़े कचरे से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर कार्य करते हुए कार्बनिक कचरे को संसाधनों में परिवर्तित करना और स्मार्ट कचरा-बिन से संग्रह मार्गों का अनुकूलन अनुकूलित हमारी प्राथमिकता होंगे।

एकीकृत सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देकर, बसों, मेट्रो, मोनो-रेल जैसी
कनेक्टिविटी विकल्पों को सम्मिलित करना तथा पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित संसाधन बनाना हमारा लक्ष्य होगा

स्मार्ट सिटिज़न सेवा: यातायात प्रबंधन, कचरा संग्रह, और ऊर्जा संरक्षण के लिए स्मार्ट शहर हेतू समाधान लागू किए जाएंगे। प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर सरल बनाया जाएगा और उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाएगा।

24. दिल्ली स्वास्थ्य नीति

दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य के नाम पर हुए ऐतिहासिक विकास के झूठे दावे करती रही वर्तमान सरकार की पोल हाल ही में कोरोना में तब खुली जब यहाँ अस्पताल, डॉक्टर, दवाई, एम्बुलेंस, आपातकाल सेवाएं तो दूर, ऑक्सीजन गैस तक नहीं मिलने से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हज़ारों करोड़ के बजट का दम भरने वाली सरकारें दुःख की घड़ी में उचित तरीके से अन्तिम संस्कार तक करवाने में विफ़ल रहीं। ऐसे में आज हमें आवश्यकता है कि दिल्ली की जनता को सही उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए न केवल नव-निर्माण ही करने होंगे बल्कि सभी बड़े अस्पतालों को उपचार के अत्याधुनिक यंत्रों व नई तकनीकों से लैस किए जाने की बड़ी आवश्यकता है।

- दिल्ली सरकार के सभी बड़े अस्पतालों में भीड़ को कम करने के लिए व प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में 25 से 100 बेड के 150 अस्पतालों को विभिनन क्षेत्रों में

खोला जाएगा तथा इनमें सभी प्रकार की ओपीडी, जाँच, दवाएँ, ऑक्सीजन व ईलाज को उपलब्ध कराया जाएगा।

- हमारी सरकार में दिल्ली के अनेक स्थानों पर डाईगनोस्टिक सेन्टर तथा पैथोलोजी-लैब व इमेजिंग-सेंटर खोले जाएंगे, जहाँ पर 200 से अधिक किस्म की आवश्यक जांचें व स्केनिंग आदि विश्वस्तरीय तकनीकों द्वारा की जाएंगी। ऐसे जाँच केन्द्रों की रिपोर्ट सभी निजी अस्पतालों व Street के ओ-पी-डी में मान्य होगी।

- स्वास्थ्य के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले मौहल्ला क्लीनिकों को पूर्णतया बन्द किया जाएगा तथा दिल्ली में एक हज़ार "भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आयुष आरोग्य केन्द्र" खोले जाएँगे, यहाँ पर जनता को आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक, यूनानी, योग, फ़िजिओथेरेपी व नेचुरोपैथी safer द्वारा मुफ्त ईलाज तथा मुफ़्त दवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इन आयुष आरोग्य केन्द्रों में बड़े पैमाने पर मरीज़ों को उचित इलाज पूर्णतया मुफ़्त उपलब्ध होगा।

- दिल्ली सरकार में जनता के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक "नीरजा भनोट स्वास्थ लेखा एप्लीकेशन" या Central Medical Record Application जारी किया जाएगा। इस एप्लीकेशन में मरीज़ के लिए की गई सभी प्रकार की जाँच, डॉक्टर द्वारा दिया गया उपचार तथा दी गई दवाएँ या अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का सम्पूर्ण लेखा-जोखा उपलब्ध होगा। इसकी वजह से कुछ भ्रष्ट क्लिनिक व अस्पताल ना ही मरीज़ों के गलत उपचार व लूट नहीं कर पाएंगे तथा हर मरीज़ की भी पूरी मेडिकल ech sites सुरक्षित रूप से रखी जाएगी।

- हमारी सरकार में स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार, टेलीमेडिसिन, और रोग निवारण के लिए समाधान विकसित किया जाएगा।

- प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में एक उच्च स्तरीय मेडिकल प्रिक्युमेंट सेंटर "महर्षि सुश्रुत मेडिकल प्रिक्युमेंट सेंटर"खोले जाएँगे, कई बार अस्पताल में पूरी दवाएं उपलब्ध नहीं होने से मरीज़ों के उपचार में बड़ी कठिनाई आती है, अतः ऐसे केन्द्रों से सभी प्रकार की दवाएँ मुफ़्त उपलब्ध कराई जाएँगी, जिन्हें अस्पताल में नहीं दिया जासका हो।

- दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों के साथ ही मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज खोले जाएँगे जिसमें दिल्ली के बच्चों को नर्स तथा डाक्टर बनने के पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ मिल सकें।

- दिल्ली में नागरिकों को आकस्मिक दुर्घटना एवं प्राथमिक उपचार में सेवाओं को बेहतर करने के लिए दो हज़ार विश्वस्तरीय पैरामेडिक एम्बुलेन्स को नियुक्त किया जाएगा ।

- दिल्ली के सभी सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में स्वास्थ्य संस्थानों की सहायता से "प्राथमिक चिकित्सा व CPR' की ट्रेनिंग को देना अनिवार्य बनाया जाएगा ।

25. दिल्ली कचरा प्रबंधन

हमारी सरकार में दिल्ली को भारत के सबसे साफ़ शहरों में स्थापित करने की दिशा में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेक आवश्यक कार्य किए जाना संकल्पित है, जिनमें से कुछ निम्लिखित हैं;

सफ़ाई कर्मचारीयों की संख्या को SAT करके उन्हें न केवल सभी सुरक्षा उपकरण ही उपलब्ध कराए जाएंगे
बल्कि मासिक वेतन नियमित रूप से Prater दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रत्येक CRW वार्ड में कूड़े से खाद बनाने के लिए कोम्पोस्ट मशीनें प्रदान की जाएँगी जिससे क्षेत्र में गन्दगी नहीं रहेगी तथा हरियाली में वृद्धि होगी। कूड़े व कचरे के निपटान eq CRW वार्ड, ज़िला स्तर व राज्य स्तर पर निस्तारण की योजना बनाई जाएगी, जिसमें दिल्ली में पैदा होने वाले कुल कूड़े के 30% भाग को खाद में बदल दिया जाएगा और बचे हुए 70% कूड़े से अन्य ठोस पदार्थों का निर्माण किया जाएगा जिसमें सड़क निर्माण सामग्री, फुटपाथ टाईल, रोड़ डिवाईडिंग लाइनिंग आदि का निर्माण प्रमुख है।

दिल्ली में सभी डम्पिंग ग्राउंड को एक-एक कर ख़त्म कर दिया जाएगा तथा उनके स्थान WHS के 100% निपटान AR के तहत बड़े विश्वस्तरीय स्वचालित "HST छंटनी tare" Waste Sorting Plant लगाए
जाएँगे, जिससे ना केवल कूड़े को पूरी तरह से रिसाइकिल किया जाएगा अपितु 10 हज़ार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार निश्चित ही प्राप्त होगा तथा प्रदेश पहले से अधिक स्वच्छ और सुन्दर बनेगा।
घर-घर से कूड़ा उठवाने की सेवा को रेगूलेट किया जाएगा जिससे कि प्रत्येक दरवाज़े से कूड़ा ले जा कर
उसके निपटान की उच्च स्तरीय सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
दिल्ली में स्वास्थ्य हानि तथा मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न करने के प्रमुख कारण मच्छरों की पूर्णतया रोकथाम तथा इसके अनुसन्धान के लिए एक विशेष टास्क फ़ोर्स का गठन किया जाएगा। मच्छरों की रोकथाम से लेकर इनके प्रजनन तक को रोकने की दिशा में यह टास्क फ़ोर्स प्रमुख भूमिका निभाएगी, जिसके फ़लस्वरूप मलेरिया, डेंगू, चिकन-गुनिया तथा गेस्ट्रोएन्टराइटिस जैसी जानलेवा बिमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी तथा टास्क फ़ोर्स "मच्छर फ्री दिल्ली" के अटल लक्ष्य पर काम करेगी।

दिल्ली के सभी सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेंड व बाज़ारों के पास जन-सुविधाएँ तथा शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा साथ ही उनके नियमित रख-रखाव एवं सफ़ाई के लिए उचित प्रबन्ध किए जाएँगे। सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओ हेतू समान रूप से प्रबंधन किया जाएगा जिससे महिलाओं को सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ शौचालय का लाभ मिलेगा।

दिल्ली PWD की सभी सड़कों की सफ़ाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों तथा वैक्यूम क्लीनरों को न केवल

उपलब्ध कराया जाएगा बल्कि उनका नियमित प्रयोग कर स्वच्छता को बनाए रखा जाएगा। सफ़ाई कर्मचारियों का प्रबन्धन CRW के अन्तर्गत किया जाएगा, जिससे सभी CRW सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की सफ़ाई पर निगरानी रख पाएंगे और सफ़ाई नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों को सही जगहों पर सफ़ाई के लिए भेज सकें

26. सशक्त लोकपाल व सत्ता का विकेंद्रीकरण

हम दिल्ली जन लोकपाल विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह जन लोकपाल विधेयक की तर्ज पर लोकायुक्त का मॉडल होगा। इस कानून के प्रावधानों में शामिल हैं:

• सभी सरकारी अधिकारी (मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सहित) लोकायुक्त की जांच के दायरे में आएंगे

• भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी को नौकरी से हटा दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी

• भ्रष्टाचार के मामलों में समयबद्ध जांच और सजा iv. लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार के आरोपों वाले लोगों के खिलाफ जांच और अभियोजन शुरू करने का अधिकार होगा; प्रशासनिक, वित्तीय और जांच स्वायत्तता होगी। 5. नागरिक चार्टर पेश किया जाएगा और समय सीमा का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा

विश्व में भ्रष्टाचार के गढ़ MCD को पुर्णतः समाप्त करने के लिए केन्द्र को निरन्तर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। डिवेलपमेंट चार्ज, कन्वर्ज़न चार्ज, पार्किंग चार्ज, जैसे अनेकों तुगलकी जजिया रुपी टैक्स भरने के बावजूद दिल्ली की हर गली-मोहल्ले में हर तरफ़ गन्दगी, अस्वच्छता, अनाधिकृत Hest, आवारा पशु, HS के पहाड़ आदी की अनियमितताएं आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

इसके सम्पूर्ण निदान के लिए दिल्ली में 30,000 की आबादी पर परिषद् प्रतिनिधि या काउन्सिल प्रेसिडेंट की सीट तय की जाएगी और प्रत्येक CRW (काउंसिल फ़ॉर रेज़िडेंट्स वैलफेयर) में 20 अधिकारिक काउन्सिल सदस्यों को क्षेत्र के 20२५४ के बूथ अनुसार चुनाव प्रक्रिया से चुना जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

• इन 21 सदस्यों की समिति को दिल्ली सरकार से सीधे फण्ड दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा।

• प्रत्येक CRW कार्यालय में सभी स्थानीय निवासी अपने रोज़मर्र के कार्य जैसे:- बिजली, पानी, राशन, सीवर, स्वच्छता, वाटर हार्वेस्टिंग, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण तथा किरायेदार सत्यापन जैसे अनेक कार्य जिनमें केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार तथा नगर निगम के मिश्रित कार्य, एक छत के नीचे स्थानीय कार्यालय में एकल खिड़की (सिंगल विंडो/5118॥9 Window) के माध्यम से करवाए जाने का प्रावधान होगा।

• वार्ड के सिंगल विंडो ऑफिस या एकल खिड़की कार्यालय से किरायेदार द्वारा अपना मकान बदलने पर उसके सभी ज़रूरी कागज़ात, प्रूफ़ आदि केवल एक संयोजित सूचना पर ही बदल कर,

नए आवास के पते पर कर दिए जाएंगे। साथ ही पेंशन प्रक्रिया को वेरिफ़िकेशन-ऑटोमेशन प्रक्रिया से किया जाएगा। CRW की ज़िम्मेदारी होगी कि क्षेत्र में किराए पर रहने वाले निवासियों को असल दाम पर ही बिजली, पेयजल, राशन, पेंशन सहित अन्य हर सरकारी लाभ प्राप्त हों।

• पूरे CRW वार्ड क्षेत्र में सफ़ाई, सुरक्षा, 2019, प्रकाश से जुड़े प्रशासनिक सेवाओं को प्रदान करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा प्रत्येक CRW की कल्याणकारी कार्यों के लिए 2.40 करोड़ रूपए के वार्षिक बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

• CRW वार्ड कार्यालयों में दिल्ली राज्य से स्नातक व स्नाकोत्तर बेरोज़गारों, युवक-युवतियों को नौकरी देने को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इन कार्यालयों को 16 Gee कार्यरत बनाकर तथा 4 are की 4 पालियों में उचित वेतन पर युवा-युवतियों को रोज़गार दिया जाएगा।

धन्यवाद्

दिल्ली जन घोषणापत्र (जननीति) टीम

(नोट: कुछ अन्य शेष आवश्यक सुधारों के साथ इसका अंतिम ड्राफ्ट को दिल्ली की जनता को समर्पित किया जाएगा)